झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

WEB-NOTICE ......36......../2025

राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (2025–26) के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाः–

उक्त परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना परिषद् की विज्ञप्ति संख्या– 54/2025 दिनांक– 18.12.2025 को प्रकाशित की जा चुकी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अष्टम् वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के हितार्थ राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना (National Means-Cum-Merit Scholarship Scheme) के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में कुल 1,00,000 (एक लाख) मेधावी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत चयनित छात्र–छात्राओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा National Scholarship Portal पर DBT के माध्यम से वर्ग IX से वर्ग XII तक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। **मंत्रालय के द्वारा छात्रवृत्ति की राशि 12000/– रूपया प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।** झारखण्ड राज्य हेतु इस छात्रवृत्ति के लिए कुल 1959 कोटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

2. पात्रताः–

झारखण्ड राज्य में अवस्थित **राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक विद्यालय** में नामांकित एवं अध्ययनरत् वैसे छात्र–छात्राएँ राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा–छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024–25 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जो :–

(i) शैक्षणिक सत्र 2024–25 में 55 प्रतिशत अंकों के साथ 7वीं कक्षा उत्तीर्ण किये हों एवं सत्र 2025–26 में अष्टम् वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत् हों। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी)।

(ii) जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार) से अधिक नहीं हो।

(iii) **केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय, जहाँ रहने, खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, के छात्र–छात्राएँ इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे।**

3. आरक्षणः–

(क) झारखण्ड राज्य में लागू आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को देय होगा।

चयन के उपरांत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र तथा निःशक्तता कोटे के अभ्यर्थियों को जिला असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत अनुमान्य निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत **करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।** आरक्षित कोटे के विरूद्ध चयनित होने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित रीति से सत्यापन कराया जा सकता है।

नोटः– आवेदन प्रपत्र में अंकित कोटि में किसी भी शर्त पर परिवर्तन मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के स्थिति में अभ्यर्थी सामान्य कोटि के समझे जायगें एवं उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

4. परीक्षा शुल्क :–

परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार है, यह शुल्क **Online** ही लिये जाएगे।

(क) GEN, BC- I, BC- II एवं EWS के अभ्यर्थियों हेतु– 250/- (दो सौ पचास रूपये)।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति – 125/- (एक सौ पच्चीस रूपये)।

5. आवेदन पत्र Online कैसे भरें :–

(i) Registration of Student :

Step I – सर्वप्रथम छात्र स्वयं को परिषद के वेबसाईट **Jac.jharkhand.gov.in** के Exam Portal के NMMSS Section पर Register करेंगे।

Step II – Registration के उपरांत Online Fee Payment करेंगे।

Step III– Fee payment करने के उपरांत आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर अपने विद्यालय प्रधान के पास जमा करेंगे।

Step IV – विद्यालय प्रधान भरे हुए आवेदन पत्र को अभिप्रमाणित करते हुए वांछित दस्तावेज के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

Step V – जिला शिक्षा पदाधिकारी साक्ष्य के आधार पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदन को Approve या Reject/ Defect करेंगे।

Step VI – परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र परिषद् के वेबसाईट से download कर सकेंगे।

6. परीक्षा तिथिः–

परीक्षा की तिथि बाद मे घोषित की जायेगी।

7. परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रमः–

परीक्षा का आयोजन NCERT द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप किया जायेगा। राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के प्रश्न पत्र कक्षा VII एवं VIII के स्तर के होंगे। इसके अन्तर्गत प्रश्न–पत्र दो खण्डों में होगाः–

खण्ड–1:– बौद्धिक योग्यता परीक्षण (**Mental Ability Test MAT**) इसके अन्तर्गत कुल 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसके लिये 90 मिनट का समय निर्धारित होगा, इसके प्रश्न Multiple Choice Question होंगे। इसमें Verbal and Non Verbal Meta-Cognitive Abilities like Reasoning and Critical Thinking होगें।

खण्ड– 2:– शैक्षिक योग्यता परीक्षण (**Scholastic Ability Test SAT**) – इसके अन्तर्गत Science, Social Science एवं Math विषय के प्रश्न समाहित होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी। इसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित रहेगा। इसके भी सभी प्रश्न Multiple Choice Question होंगे। सभी प्रश्न कक्षा VII एवं VIII के पाठ्यक्रम स्तर के हो सकते हैं।

आवश्यकतानुसार **दिव्यांग छात्र–छात्राओं को दोनों खण्डों में निर्धारित समय से 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।** केन्द्राधीक्षक द्वारा ऐसे दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए कक्षा सात में अध्ययनरत् छात्र को श्रुतिलेखक की सुविधा दी जा सकती है। जिसका अनुमोदन केन्द्राधीक्षक एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त कर लेगें।

Qualifying Marks- सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्राओं को Qualify करने हेतु MAT एवं SAT में कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के छात्र/छात्राओं का Cut off Marks 32% रहेगा। न्यूनतम अधिसीमा से कम अंक प्राप्त करने की स्थिति में छात्रवृत्ति हेतु पात्रता पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिला स्तर पर चयनित छात्र–छात्राओं को वर्ग 9 से 12 तक (अधिकतम 4 वर्ष) लगातार अध्ययनरत् रहने एवं निर्धारित मापदण्डो को पूरा करने पर प्रतिवर्ष 12000/– (बारह हजार) रूपये की दर से NSP Portal पर DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसके लिए उन्हें प्रतिवर्ष आवेदन करना अनिवार्य है। चयनित छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती रहे इस हेतु वर्ग 9 एवं वर्ग 11 की परीक्षा में न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंक एवं वर्ग 10 की परीक्षा में न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को इस हेतु अंकों में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी)।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह0/–
सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ज्ञापांक– JAC/Sch/NMMSS/7034/25/Secy/1219/25 दिनांक 22.12.2025

प्रतिलिपि :– व0सू0प्रो0 पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को इस आशय के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कि उपरोक्त वेब नोटिस को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

22/12/25

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

02.12.2025 NMMSS Web Notice